भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *153

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण का संवितरण

*153. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्रीमती शांभवी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से बैंकों के वित्तीय विकास के फलस्वरूप कृषि, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण वितरण में वृद्धि का बैंकवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय बैंकों ने अपने सेवा पोर्टफोलियो का विस्तार करने और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए फिनटेक सहयोग का किस प्रकार लाभ उठाया है;

(ग) वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और भावी संकट की स्थिति को रोकने के लिए बैंकों द्वारा नियामक मानदंडों का अनुपालन किए जाने की निगरानी के लिए विद्यमान तंत्र क्या है;

(घ) सरकार द्वारा भारतीय बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) को कम करने में सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ड.) क्या सरकार भारतीय बैंकों के सतत वित्तीय निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नीतिगत सुधार पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण का संवितरण" के संबंध में दिनांक 10.3.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *153 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): वर्ष 2019 में बैंकों द्वारा कृषि, एमएसएमई और सामाजिक अवसंरचना सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल ऋण संवितरण ₹23,01,567 करोड़ था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर ₹42,73,161 करोड़ हो गया है, जो छह वर्ष की अवधि में 85% की वृद्धि दर्शाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2019 से 2024 तक कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और सामाजिक अवसंरचना जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण संवितरण का बैंक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): चूंकि वित्तीय परिदृश्य निरंतर विकसित हो रहा है और ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बैंक ग्राहकों को विभिन्न सेवाओं का प्रावधान करने के लिए फिनटेक के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्र जहाँ फिनटेक बैंकिंग उत्पादों/सेवाओं का संवर्धन करके उसकी निर्बाध आपूर्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्राहक अनुभव में सुधार हो रहा है, वे निम्नानुसार हैं:-

- ई-केवाईसी, वी-केवाईसी प्रक्रियाओं के माध्यम से बचत खाते खोलना, चेहरे की पहचान और नाम के मिलान इत्यादि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- डिजिटल ऋण सम्बंधी कार्यकलाप जैसे खाता विवरण विश्लेषण, हामीदारी अंकन इत्यादि में वैकल्पिक आंकडों का लाभ उठाकर त्वरित ऋण मूल्यांकन और रियल टाईम निर्णय लेना।
- बैंकों के एपीआई का उपयोग करके ग्राहकों के लिए नवीन उत्पादों को विकसित करना।

(ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान प्रतिदर्श आधार पर उसके द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की जाती है और यदि कोई अननुपालना पायी जाती है तो उसे संबंधित पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ सुधार के लिए उठाया जाता है। साथ ही उपयुक्त पाए जाने पर पर्यवेक्षी/ प्रवर्तन सम्बंधी कार्यवाही भी आरम्भ की जाती है। जहाँ तक वित्तीय स्थिरता का सवाल है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार, आरबीआई का विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचा अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के व्यापक सिद्धांतों के प्रति निर्देशित होता है। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं के विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को उनके जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप आनुपातिकता के सिद्धांत पर बनाया गया है। आरबीआई ने पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि इसे और अधिक दूरदर्शी, जोखिमोन्मुख और विश्लेषणात्मक बनाया जा सके, जिसका उद्देश्य असुरक्षित क्षेत्रों, उधारकर्ताओं के साथ-साथ पर्यवेक्षित संस्थाओं को अभिचिन्हित करना है।

(घ) और (ङ): सरकार और आरबीआई ने बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और ऋण अनुशासन, जिम्मेदारी से ऋण देने और बेहतर अभिशासन, प्रौद्योगिकी अपनाने, वसूली और एनपीए में

कमी लाने से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और केंद्रित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषीकृत तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल और शाखाएँ स्थापित की हैं, जो त्वरित और बेहतर समाधान/वसूली को सुगम बनाता है। व्यवसाय प्रतिनिधियों की तैनाती और फीट-ऑन-स्ट्रीट मॉडल को अपनाने से भी बैंकों में एनपीए की वसूली में तेजी आई है।

ii. आरबीआई द्वारा तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा जारी किया गया है जिसका उद्देश्य तनावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, उसकी रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए रूपरेखा प्रदान करना और साथ ही समाधान योजना को शीघ्र अपनाने के लिए ऋणदाताओं को प्रोत्साहित करना है।

iii. मानक और अनुप्रयोज्य अग्रिम दोनों के लिए न्यूनतम प्रावधानीकरण अपेक्षाएं निर्धारित की गयी हैं;

iv. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधिनियमन, बड़े ऋणों पर सूचना की केंद्रीय रिपोजिट्री की स्थापना और इरादतन चूककर्ता और धोखाधड़ी के लिए उच्च मूल्य वाले खातों की व्यवस्थित जांच के माध्यम से ऋण अनुशासन स्थापित किया गया है।

v. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 तथा ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।

vi. बैंकों में व्यापक, स्वचालित आरम्भिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना, ताकि तनाव का पहले से पता लगाया जा सके और एनपीए में स्लिपेज को कम किया जा सके।

vii. एक अद्वितीय उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि अभिशासन, विवेकपूर्ण उधार, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित बैंकिंग, और परिणाम-केंद्रित मानव संसाधन पर उद्देश्यपूर्ण और बेंचमार्क प्रगति को सक्षम किया है।

viii. बैंकों के समामेलन द्वारा प्राप्त किफायतों और सिनर्जी का लाभ उठाकर बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया गया है।

*****

अनुबंध

2019-2024 से कृषि, एमएसएमई और सामाजिक अवसंरचना सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण संवितरण						
(राशि करोड़ में)						
श्रेणी	वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक	लघु वित्त बैंक	कुलयोग
समग्र पीएसएल	2019	1168693	841206	241348	50321	2301567
	2020	1165301	935266	221134	60576	2382277
	2021	1344415	953808	250288	38905	2587416
	2022	1089869	1315571	298793	68122	2772356
	2023	1293632	1670355	347487	98862	3410336
	2024	1853161	1978188	339016	102797	4273161
कृषि*	2019	525617	305124	36807	19242	886791
	2020	580226	374673	35520	22428	1012847
	2021	644780	412374	43446	18360	1118959
	2022	623244	490808	56907	27866	1198824
	2023	745126	589507	347487	43249	1725369
	2024	1036866	678637	66654	45509	1827666
एमएसएमई	2019	549694	456402	72620	20339	1099055
	2020	495986	527993	77990	25473	1127443
	2021	507459	512141	81963	9032	1110595
	2022	389129	755014	109210	19331	1272684
	2023	465157	1051815	153234	31080	1701286
	2024	726254	1264447	153202	29776	2173679
सामाजिक अवसंरचना #	2019	374	232	0	78	684
	2020	285	263	0	124	671
	2021	255	295	0	12	562
	2022	237	564	0	6	806
	2023	119	520	0	5	644
	2024	79	574	0	23	676

*** कृषि के आंकड़ों में बैंकों द्वारा कृषि अवसंरचना के लिए ऋण संवितरण शामिल है**

 # इस श्रेणी के अंतर्गत बैंकों को कोई विशिष्ट उप-लक्ष्य नहीं सौंपा गया है, तथापि, इसे समग्र पीएसएल लक्ष्य के अंतर्गत गिना जाता है

स्रोत: आरबीआई

*****